RTI MANUAL

UNDER

SECTION 4 OF THE RTI ACT 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत सूचनाऐं

जुलाई 19, 2022

4(1) (ख) (i)	**अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य,**
	इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय की अनुमति से दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 की पालना अन्तर्गत वर्ष 2012 में उदयपुर में की गई। अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 27 अगस्त, 2012 से इसे प्रवृत्त होने की घोषणा एक्ट निहित की गई है। राजस्थान सरकार के राज–पत्र विशेषांक (Rajasthan Gazette Extraordinary) अप्रेल–21, 2016 के द्वारा राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम व मुख्यालय परिवर्तित कर गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा कर दिया गया है। राजस्थान राज–पत्र विशेषांक जून–28, 2016 के द्वारा गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के कार्यक्षेत्र में 01 जुलाई, 2016 से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों को सम्मिलित किया गया। गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 में विश्वविद्यालय की विशिष्टियों, कृत्य और कृर्तव्यों का निम्नानुसार उल्लेख है – **विश्वविद्यालय का निगमन :–** (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, ''गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा'' के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा। (2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगाः परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, अंतरण या व्ययन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बांसवाड़ा में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।
(4) विश्वविद्यालय द्वारा या इसके विरूद्ध वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुल–सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल–सचिव को जारी और तामील की जायेंगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य :–

विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा–

(i) प्राथमिक रूप से जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाओं के अवसर उपलब्ध कराना;

(ii) जनजातीय कला, संस्कृति, परम्परा, भाषा, औषधीय पद्धतियां, रीति रिवाज, वन आधारित आर्थिक क्रियाकलापों, वनस्पति, जन्तुओं और जनजातीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित प्रौद्योगिकियों या विद्या की ऐसी कोई भी अन्य संबंधित शाखाएं जो वह ठीक समझे, में शैक्षणिक अभिवर्धन और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने के द्वारा ज्ञान का प्रसार और अभिवर्धन करना;

(iii) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संगठनों या संस्थाओं के साथ, विशेष रूप से जनजातीय जनसंख्या के विषय में सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान को हाथ में लेने के लिए, सहयोग करना;

(iv) जनजाति–केन्द्रित विकास के माडल बनाना, रिपोर्टें और शोध प्रबंध प्रकाशित करना; और जनजातियों से संबंधित विषयों के बारे में सम्मेलन, सेमिनारें आयोजित करना, और विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत मामलों के लिए सूचना उपलब्ध कराना;

(v) जनजातीय समुदायों के सदस्यों को अपने स्वयं के विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंच द्वारा प्रबंध करने, प्रशासन करने और अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहन के लिए समुचित उपाय करना;

(vi) अन्तर–विषयक अध्ययनों और अनुसंधान में अध्यापन अध्ययन प्रक्रियाओं में नवाचारों को संप्रवर्तित करने, और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दशाओं और कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देने, उनके बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए समुचित उपाय करना

(vii) विद्या की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देने के लिए उपबंध करना;और

(viii) विद्या की समस्त शाखाओं में अनुसंधान को अग्रसर करना।

	<u>विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य :–</u> विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:– (क) विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रबंध करना; (ख) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हे विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए ऐसे उपबंध करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों; (ग) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम विहित करना और शिक्षा पद्धतियों और प्रदान करने की कार्यपद्धतियों में लचीलेपन के लिए उपबंध करना; (घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अनुसंधान और शिक्षा के लिए ऐसे केन्द्र या अन्य इकाइयां स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों; (ङ) दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना जो यह अवधारित करे; (च) परिनियमों द्वारा विहित रीति से उपाधियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना; (छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार, पदक और अन्य पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना; (ज) समान या समरूप उद्देश्यों वाले अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और प्राधिकारियों के साथ सहयोग और सहयोजन करना, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे; (झ) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से छात्रों को प्रवेश देना; (ञ) ऐसी फीस और ऐसे अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना या वसूल करना, जो विहित किये जायें; (ट) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और अन्य पदों का संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना; (ठ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; (ड) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की, उनकी आचार संहिता को सम्मिलित करते हुए, सेवा की शर्तें अधिकथित करना; (ढ) छात्रों और कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विहित किये जायें या विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जायें; (ण) छात्रों के निवास के लिए हाल और छात्रावास और विश्वविद्यालय के संकायों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वास–सुविधा और अतिथि गृह स्थापित, संधारित करना और उनका प्रबंध करना; (त) छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण का प्रोन्नयन करने के लिए व्यवस्था करना;

(थ) विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना और वित्त का प्रबंध करना और लेखे रखना;
(द) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए और उन उद्देश्यों से, जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, संगत अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना और किन्हीं भी अनुदानों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों और निकायों के साथ करार करना;
(ध) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, ऐसी भूमि या भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्य हों, क्रय करना, अर्जित करना, पट्टे पर लेना या उनका व्ययन करना और किन्हीं भी ऐसे भवनों या संकर्मों का सन्निर्माण, परिवर्तन और संधारण करना;
(न) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली आस्तियों के संबंध में अन्तरण, बंधक, पट्टे, अनुज्ञप्तियां, करार और अन्य हस्तान्तरण–पत्र निष्पादित करना;
(प) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूमि पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;
(फ) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए प्रवेश, नियोजन के पदों और अन्य फायदों के मामलों में पर्याप्त प्रतिशत उपबंधित करके शैक्षिक, आर्थिक हितों और कल्याण के प्रोन्नयन के लिए विशेष उपबंध करना
(ब) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जिन्हें विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी उद्दश्यों को प्राप्त करने या अग्रसर करने के लिए सहायक या आनुषंगिक समझें
(भ) विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाये जाने वाले महाविद्यालयों, संस्थाओं और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन समस्त या इनमें से किन्हीं भी विशेषाधिकारी को वापस लेना;
(म) किसी महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम में अभिकथित की जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करनपा और स्वायत्तता वापस लेना; और
(य) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करें।

<u>विश्वविद्यालय का अध्यापन :–</u>

(1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।
(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

4(1) (ख) (ii)	**अपने अधिकारीयों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य,**
-	गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों का निम्नानुसार उल्लेख है – **<u>कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य –</u>** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा। (2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा। (3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार–विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारियों या निकायों जैसेकि विहित किये जायें, की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी। (4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय के सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा। (5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। (6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा/करेगी जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा/करेगी जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता। (7) जहां कुलपति द्वारा उप–धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर–भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा। (8) पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा। (9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जायें। **<u>कुल–सचिव :–</u>** (1) कुल–सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। (2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल–सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों (जो चयनित वेतनमान से निम्न के न हों) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा/जायेगी।

(3) कुल–सचिव बोर्ड, विद्या परिषद् और ऐसे किसी भी प्राधिकारी का पदेन सदस्य–सचिव होगा जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

(4) कुल–सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा/होगी जिन्हे बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करें; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकाय, अध्ययन बोर्डों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा;

(5) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलपति का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल–सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह देगा/देगी और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा/करेगी कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा/करेगी और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने, या यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर–भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(ii) उप–खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा/सकेगी, जो विश्वविद्यालय के लिए आबद्धकर होगाः

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर ऐसा कोई अंतरिम या स्थायी आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या यथास्थिति, कुलपति, कार्यवाहियों, या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा/सकेगी मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(6) कुल–सचिव धारा 42 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुल–सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी जो विहित किये जायें या जिनकी कुलपति या बोर्ड द्वारा उससे समय–समय पर अपेक्षा की जाये।

<u>नियंत्रक :–</u>

(1) नियंत्रक विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा/होगी। वह सीधे ही कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा/करेगी।

(2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से निम्न के न हों) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा/होगी।

(4) नियंत्रक,–

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;

(ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा/करेगी; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा/करेगी जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक, जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगम या कोई भी विनिधान नहीं करेगा/करेगी।

(5) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक,–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमा से अधिक न हों, और सभी धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये है;

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;

(घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बद्ध में स्टाक की जांच की जाती है;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनियधान से ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो और अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलपति के ध्यान में लायेगा/लायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा/देगी;

(छ) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा या करेगी जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और

(झ) धारा 34, 35 और 36 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

	विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी :– (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। (2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।
4(1) (ख) (iii)	**विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं,**
-	गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी कुलपति है। इनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय के कार्य संचालित होते है। गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2012, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, राज्य सरकार एवं अन्य वैधानिक संस्थानों से प्राप्त नियम संगत आदेशों / निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के कार्य सम्पादित किये जाते है।
4(1) (ख) (iv)	**अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड**
-	विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों को सफलता पूर्वक निष्पादित करने के लिये विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अनुभाग गठित किये गये है। उन्हीं अनुभागों द्वारा नियत समयावधि में कार्यो को सम्पादित किया जाता है।
4(1) (ख) (v)	**अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृतियों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गए नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशका और अभिलेख,**
-	गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 में निर्धारित कृत्यों के निर्वहन के लिये उक्त अधिनियम और राज्य सरकार के विभिन्न सामयिक आदेशों और निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के कार्यो को सम्पादित किया जाता है।
4(1) (ख) (vi)	**ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ,**
-	विश्वविद्यालय में दस्तावेजों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाता है। यह कार्य विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों के प्रभारी के दायित्वाधीन रहता है।
4(1) (ख) (vii)	**किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,**
-	विश्वविद्यालय को समय–समय पर राज्यपाल सचिवालय एवं राज्य सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त होते है और उन्हीं दिशानिर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा नियत समयावधि में कार्यवाही की जाती है।
4(1) (ख) (viii)	**ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगी,**

गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 में विश्वविद्यालय के बोर्ड, परिषद् और अन्य निकायों का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है –

विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी :–

(i) सलाहकार परिषद्;
(ii) प्रबंध बोर्ड;
(iii) विद्या परिषद्;
(iv) संकाय;
(v) अध्ययन बोर्ड;
(vi) वित्त समिति;

सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना.–

(1) विश्वविद्यालय की एक सलाहकार परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(i) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला, जनजातीय मामलों में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति, जो सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष होगा;
(ii) कुलपति;
(iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान;
(iv) आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर;
(v) निदेशक, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, उदयपुर;
(vi) कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर;
(vii) कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा;
(viii) शिक्षा, सामुदायिक सेवा और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों से लिये जाने वाले {अनुसूचित जनजातियों} के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले पांच विख्यात व्यक्ति;
(ix) जनजातीय अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, व्यवहार–विज्ञान और मानविकी और अन्य संबंधित विषयों के, {कुलाधिपति} द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले विद्वान, पांच तक;
(x) विश्वविद्यालय का कुल–सचिव, सदस्य–सचिव।

(2) सलाहकार परिषद् की बैठक में, एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष, ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना कार्य करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे, जो विहित किये जायें।

(5) सलाहकार परिषद् की बैठकों का कार्यवृत सलाहकार परिषद् के सदस्य–सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य.–

सलाहकार परिषद् के कर्त्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नितियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए, उपायों के सुझाव देना;

(ख) ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिससे विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन हो सके, कुलपति को सलाह देना; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य और कृत्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना :–

(1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:–

(I) विश्वविद्यालय का कुलपति – अध्यक्ष;

(II) पदेन सदस्य –

(i) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान;

(ii) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान;

(iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान;

(iv) आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, उदयपुर;

(v) निदेशक, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, उदयपुर;

(vi) कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर;

(vii) प्रति–कुलपति

(viii) विश्वविद्यालय का कुल–सचिव, सदस्य–सचिव''

(ix) निदेशक/आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान।

स्पष्टीकरण– (i) से (iii) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नानिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(III) नामनिर्देशित सदस्य–

(i) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;

(ii) कुलाधिपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान–मण्डल के दो सदस्य

(v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्'';

(vi) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध विश्वविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा।''

विद्या परिषद् :–

(1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) कुलपति – पदेन अध्यक्ष;

(ख) प्रति–कुलपति;

(ग) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(घ) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;

(ङ) प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;

(च) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;

(छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(ज) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले ऐसे दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा

(झ) विश्वविद्यालय का कुल–सचिव, सदस्य–सचिव

(ञ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला किसी घटक महाविद्यालय का एक प्राचार्य/निदेशक;

(ट) निदेशक/आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;

(ठ) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;

(ड) घटक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग से, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला, आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और

(ढ) संबद्ध महाविद्यालय से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला, प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।''

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

अध्ययन बोर्ड :–

(1) अध्ययन बोर्ड इतने होंगे जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

वित्त समिति :–

(1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:–

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हों;

(ग) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हों;

(घ) अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हों;

(ङ) प्रति–कुलपति;

(च) बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाने वाला बोर्ड का एक सदस्य;

(छ) बोर्ड द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्देशित किये जाने वाले दो आचार्य; और

(ज) नियंत्रक, जो समिति का सदस्य–सचिव होगा।

(2) खण्ड (च) और (छ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

4(1) (ख) (ix) **अपने अधिकारीयों और कर्मचारियों की निर्देशिका**

- गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय एवं नवीन विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका बनाई गई है।

➢ राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अशैक्षणिक व शैक्षणिक पद स्वीकृत किये गये है :–

- **अशैक्षणिक पद :**

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्तपद
1	कुलपति	01	कार्यरत
2	कुलसचिव	01 राज.प्रशा. सेवा (सुपर टाईमस्केल)	कार्यरत
3	वित्त नियंत्रक	01 राज. लेखा सेवा (सलेक्शन स्केल)	कार्यरत
4	सहायक लेखाधिकारी	01 कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	कार्यरत
5	कनिष्ठ लेखाकार	02 कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	कार्यरत
6	परीक्षा नियंत्रक	1	रिक्त
7	उप कुलसचिव	1	रिक्त
8	सहायक कुलसचिव	1	रिक्त
9	निजी सचिव	1	रिक्त
10	अनुभाग अधिकारी	1	रिक्त
11	वरिष्ठ सहायक	2	रिक्त
12	निजी सहायक	1	रिक्त
13	विधि सहायक	1	रिक्त

14	स्टेनोग्राफर	3	रिक्त
15	सूचना सहायक	4	रिक्त
16	कनिष्ठ लिपिक	7	रिक्त
17	वाहन चालक	1	रिक्त
18	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	रिक्त

- **शैक्षणिक पद**

क्र.सं.	पदनाम	सृजित पद
1	प्रोफेसर	05
2	एसोसियेट प्रोफेसर	10
3	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15

➢ राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में पदस्थापित अधिकारी/कार्मिक निम्न है –

क्र.स.	नाम अधिकारी/कार्मिक	पद नाम
1	प्रो0 आई.वी. त्रिवेदी	कुलपति
2	गोविन्द सिंह देवडा	कुलसचिव
3	सोहन सिह	वित्त नियंत्रक
4	अभिषेक गोदा	सहा0 लेखाधिकारी–I
5	प्रकाशचन्द्र परमार	सहायक प्रोग्रामर
6	चिराग त्रिवेदी	कनिष्ठ लेखाकर
7	मनीष जोशी	कनिष्ठ लेखाकर

➢ आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा विश्वविद्यालय में 03 सह/सहायक आचार्य, 01 अति0 प्रशासनिक अधिकारी तथा 01 च.श्रे.क. प्रतिनियुक्त किये गये है।

क्र.स.	नाम कार्मिक	पद नाम
1	डॉ0 नरेन्द्र पानेरी	सहायक आचार्य
2	डॉ0 अशोक काकोडिया	सह–आचार्य
3	डॉ0 मनोज पण्ड्या	सह–आचार्य
4	डॉ0 नसीम पठान	अति0प्रशा0अधिकारी
5	श्री नटवरलाल भोई	सहायक कर्मचारी

➢ राज्य सरकार द्वारा गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को 40 पद गैर–शैक्षणिक एवं 30 पद शैक्षणिक के स्वीकृत किये गये है। वर्तमान में समस्त पद रिक्त है। राज्य सरकार से इन पदों पर भर्तियों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।

	➢ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 में ''वेद–विद्यापीठ'' एवं बजट घोषणा वर्ष 2022–23 में ''वैदिक गुरूकुल'' की स्थापना किये जाने घोषणा की गई है। उपरोक्त घोषणा के क्रम में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 25 (1) शिक्षा–4/2021 जयपुर दिनांक 01/02/2022 द्वारा ''वेद–विद्यापीठ'' की स्थापना हेतु कुल 07 शैक्षणिक पद (आचार्य–01, सह–आचार्य–02, सहायक आचार्य–04) व 06 अशैक्षणिक संवर्ग (सहायक कुलसचिव–01, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष–01, कनिष्ठ सहायक–02, मल्टीटास्क वर्कर–02) एवं पत्र क्रमांक प. 25(1) शिक्षा–4/2021 दिनांक 15/03/2022 द्वारा ''वैदिक गुरूकुल'' की स्थापना हेतु 17 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक–01, वैदाध्यापक–09, विषयाध्यापक–07) व 06 अशैक्षणिक (उप कुलसचिव–01, सहायक पुस्तकालयध्यक्ष–01, कनिष्ठ सहायक–01, मल्टीटास्क वर्क–03) संवर्ग के पदों के सृजन पर सहमति प्रदान की गई है।
4(1) (ख) (x)	**अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनिमयों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है,**
-	गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय एवं नवीन विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका बनाई गई है। अधिकारियों एवं कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र. स.	नाम कार्मिक	पद नाम	नियुक्ति स्थान	मासिक पारिश्रमिक	लेवल
1	गोविन्द सिंह देवडा	कुलसचिव	गोविन्द गुरू जनजातीय वि0वि0 बांसवाड़ा	107300	L19
2	सोहन सिह	वित्त नियंत्रक		98300	L19
3	अभिषेक गोदा	सहा0 लेखाधिकारी–I		51400	L12
4	प्रकाशचन्द्र परमार	स्टेनोग्राफर		40300	L10
5	चिराग त्रिवेदी	कनिष्ठ लेखाकर		36900	L10
6	मनीष जोशी	कनिष्ठ लेखाकर		36900	L10
7	डॉ0 नरेन्द्र पानेरी	सह–आचार्य		87300	L11
8	डॉ0 अशोक काकोडिया	सह–आचार्य		डेपूटेशन होने के कारण वेतन संबंधित विभाग द्वारा होता है।	
9	डॉ0 मनोज पण्ड्या	सह–आचार्य			
10	डॉ0 नसीम पठान	अति0प्रशा0अधिकारी			
11	श्री नटवरलाल भोई	सहायक कर्मचारी			

4(1) (ख) (xi)	**सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट,**
-	**वर्ष 2021–22 के आय–व्यय एवं वर्ष 2022–23 के संशोधित बजट का अनुमोदन।**

1) विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार बजट निर्णायक समिति (BFC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा (MODIFIED BFC) वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल रूपया 640 लाख आय–व्ययक अनुमान स्वीकृत किया गया।

(राशि लाख में)

लेखा शीर्ष	आय–व्ययक अनुमान 2022–23
	राज्य निधि
12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	**90.00**
92–सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	**140.00**
93–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	**410.00**
योग :–	**640.00**

(राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के क्रम में)

2) विश्वविद्यालय अंभियांत्रिकी महाविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार बजट निर्णायक समिति (BFC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा (MODIFIED BFC) वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल रूपया 94 लाख आय–व्ययक अनुमान स्वीकृत किया गया।

(रूपये लाख में)

लेखा शीर्ष	आय–व्ययक अनुमान 2022–23
	राज्य निधि
12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	**00.00**
92–सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	**94.00**
93–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	**00.00**
योग :–	**94.00**

(राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के क्रम में)

3) विश्वविद्यालय निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि 33.22 करोड़ एवं व्यय राशि 47.00 करोड़ अनुमानित है। विश्वविद्यालय की पूर्व वर्षो की बचत राशि 14.22 करोड़ से व्यय अनुमानित किया है।

वित्तीय प्रबन्ध :–

विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबन्ध विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए संरचनात्मक एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबन्धन की सुनिश्चितता करने के लिए नियंत्रक (वित्त) का पद सृजित है। नियंत्रक (वित्त) के पद पर वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प. 1 (1) वित्त/राजस्व/2021 जयपुर दिनांक 01/01/2021 से श्री सोहन सिंह का पदस्थापन विश्वविद्यालय में किया गया है। इनके अधीन निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा 01 सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, 02 कनिष्ठ लेखाकारों की प्रतिनियुक्ति की है।

	विश्वविद्यालय का एक पृथक से विश्वविद्यालय कोष है, उस कोष में विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की आय (राजस्व) को जमा रखा जाता है, विश्वविद्यालय के विभिन्न व्ययों के लिए पृथक से एक बचत खाता संधारित किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों को कोष कार्यालय में निजी निक्षेप खाते (P.D. Account) में संधारित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न संवेतन, गैर संवेतन एवं पूंजीगत व्यय इस P.D. Account से किये जाते है, जिसकी पृथक से रोकड़ बही एवं पासबुक को संधारित की जाती है। विश्वविद्यालय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 व मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वित्तीय नियमों के अनुसार कार्रवाही कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय व्यवस्था को बनाये रखने एवं लेखा संधारण के लिए पृथक से एक सोफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाली आय एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान का ऑनलाईन सोफ्टवेयर और Tally Software के माध्यम से संधारण किया जा रहा है।
4(1) (ख) (xii)	**सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौर सम्मिलित हैं,**
-	विश्वविद्यालय के बजट का निर्धारण प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाता है। उसी अनुरूप विभिन्न अनुभागों के कार्यो को सफलता पूर्वक सम्पादित करने के वित्तीय प्रावधान किये जाते है। वित्तीय प्रावधानों के अनुसार ही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार सम्बन्धित को भुगतान की कार्यवाही की जाती है।
4(1) (ख) (xiii)	**अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियाँ,**
-	गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय अपने परिक्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करता है। इससे संबंधित आदेश एवं निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.ggtu.ac.in/ पर विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रकाशित की जाती है।
4(1) (ख) (xiv)	**किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना सम्बन्ध में ब्यौर, जो, उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,**
-	विश्वविद्यालय के कार्यो में जारी होने वाले विभिन्न आदेश एवं निर्देश व अन्य सूचनाऐं समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.ggtu.ac.in/ पर प्रकाशित किये जाते है।
4(1) (ख) (xv)	**सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ , जिनके अंतर्गत किसी पुस्कालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं,**
-	विश्वविद्यालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये पृथक से एक सेल गठित किया गया है, जिसमें एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सूचना के अधिकार से संबंधित प्रकरणों को नियत समयावधि में निस्तारित करने के लिये समय–समय पर विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों द्वारा समन्वय / निर्देशन का कार्य किया जाता है।

4(1) (ख) (xvi)	**लोक सूचना अधिकारीयों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ,**
-	1) डॉ0 मनोज कुमार पण्ड्या, सह–आचार्य (लोक सूचना अधिकारी) – 9414308404 2) प्रो0 आई.वी. त्रिवेदी, कुलपति (अपीलीय अधिकारी) – 9001997557

4(1) (ख)

(xvii) **ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा,**

- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक No. 6 (1) Edu-4/2021 Part-1 जयपुर दिनांक 02/12/2021 के द्वारा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाया गया हैं, उक्त महाविद्यालय में निम्नानुसार छात्र अध्ययनरत है :–

UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE, BANSWARA

Present Student 2018 to 2022

Sr	Year	Branch	Seat	Boys					Total	Girls					Total	Grand Total	Grand Total
				ST	SC	OBC	SBC	GEN		ST	SC	OBC	SBC	GEN			
1	2018-19	Civil Engg.	60	4	7	5	0	7	**23**	1	0	0	0	1	2	**25**	42
		Electrical Engg.	60	3	1	0	0	2	**6**	2	0	0	0	1	3	**9**	
		Mechanical Engg.	60	0	0	0	0	1	**1**	0	0	0	0	0	0	**1**	
		Computer Engg.	60	0	0	4	0	3	**7**	0	0	0	0	0	0	**7**	
2	2019-20	Civil Engg.	54	6	1	2	0	2	**11**	0	1	0	0	0	1	**12**	38
		Electrical Engg.	54	1	1	2	0	3	**7**	0	0	0	0	0	0	**7**	
		Mechanical Engg.	54	0	0	2	0	1	**3**	0	0	0	0	0	0	**3**	
		Computer Engg.	54	6	0	5	0	4	**15**	0	0	0	0	1	1	**16**	
3	2020-21	Civil Engg.	54	13	3	9	0	4	**29**	5	0	0	0	2	7	**36**	64
		Electrical Engg.	54	2	1	1	0	1	**5**	3	0	0	0	0	3	**8**	
		Mechanical Engg.	54	1	0	2	0	1	**4**	0	0	0	0	0	0	**4**	
		Computer Science & Engg.	54	1	3	4	0	6	**14**	0	0	0	0	2	2	**16**	
4	2021-22	Civil Engg.	43	11	0	0	0	2	**13**	2	0	1	0	1	4	**17**	48
		Electrical Engg.	43	8	0	0	0	1	**9**	1	0	0	0	0	1	**10**	
		Mechanical Engg.	43	1	1	1	0	3	**6**	0	0	0	0	0	0	**6**	
		Computer Science & Engg.	43	1	0	6	0	8	**15**	0	0	0	0	0	0	**15**	
Total				**58**	**18**	**43**	**0**	**49**	**168**	**14**	**1**	**1**	**0**	**8**	**24**	**192**	**192**

1. वित्तीय वर्ष 2021–22 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां :–

1. **वेबीनार :–** विश्वविद्यालय वैश्विक महामारी कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से वेबीनार का आयोजन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	दिनांक	वेबीनार विषय	वेबीनार प्लेटफार्म
1	11/01/2021	राष्ट्रीय वेद सम्मेलन	Google Meet
2	12/01/2021	राष्ट्रीय युवा दिवस वर्चुअल राष्ट्रीय वेद सम्मेलन में लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन हेतु वैदिक विमर्श कार्यक्रम।	webex
3	12/01/2021	Powerful Personality	Google Meet
4	16/01/2021	सकारात्मकता से नये साल का आगाज	Google Meet
5	25/01/2021	बांसवाड़ा संस्करण स्थापना दिवस – Rajasthan Patrika	Zoom
6	27/01/2021	Transform Your Life with Sound Therapy (म्यूजिक, साउण्ड और वाइब्रेशन के साथ अपना जीवन रूपान्तरित करिए)	Zoom
7	26/02/2021	Foundation Stone Laying Ceremony & Inaugural Session	Google Meet
8	22/03/2021	Valuing of Water :Environmentally Socially and Culturally	Google Meet
9	30/03/2021	Rajasthan Diwas Celebration	Google Meet
10	09/04/2021	21st century Employabillty & StartupSkills	Google Meet
11	26/04/2021	महाविद्यालय संचालकों व प्राचार्यो से संवाद–संप्रेषण	Google Meet
12	16/05/2021	निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर उद्घाटन समारोह।	Zoom
13	22/05/2021	आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी का योगदान	Google Meet
14	02/06/2021	The Power of Positive Thinking	Google Meet
15	05/06/2021	गांधी और जनसंवाद	Google Meet
16	11/06/2021	Essential Skills For Young Managers	Google Meet
17	17/06/2021	भारतीय ज्ञान परम्परा में आध्यात्म बोध	Zoom
18	21/06/2021	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	Google Meet
19	05/07/2021	विस्थापित श्रमिक – स्थाई समाधान	Google Meet
20	12/07/2021	MLSU 60th Foundation Day Programme	Google Meet
21	22/07/2021	Thesis Writing	Google Meet
22	30/07/2021	Ethical Issues In Research	Google Meet
23	13/08/2021	Role of Rajasthan in India Freedom Struggle	Google Meet
24	25/08/2021	नशामुक्ति	Google Meet

उपरोक्त वेबीनार के अलावा निम्न कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनका विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए।

क्र.स.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	जनजाति क्षेत्र पर बेस्ट रिसर्च पेपर पर शोधार्थी को मिलेगा पुरस्कार	01/01/2021
2	एटरप्रेन्योशिप और स्किल डवलपमेंट के लिए जीजीटीयू ने सरस्वती फाउंडेशन से किया करार	06/01/2021
3	देशभर से वेद विद्यापीठ के 1400 से ज्यादा आवेदन	07/01/2021
4	जीजीटीयू ने तीनों जिलों में लोगों को बाटे मास्क किया जागरूक	10/01/2021
5	जनजाति क्षे के विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों को मिलेगा मोटिवेशनल स्पीकर (बीएसआर) के बीच एमओयू	11/01/2021
6	जीजीटीयू के कुलपति द्वारा विद्यार्थी संवाद	22/01/2021
7	मोबाईल एप में सभी पाठ्यक्रमों के वीडियों होगे आनलाईन – वेद विद्यापीठ्	25/01/2021
8	विरासत, परंपरा और संस्कृति का होगा संरक्षण – जनजातीय संग्राहलय के वृहद संरचना और स्वरूप पर मंथन	26/01/2021
9	27 प्रतिभाओ को गोल्ड मेडल से नवाजा	28/01/2021
10	रीट अभ्यार्थियों को जीजीटीयू उपलब्ध कराएगा किताबे	29/01/2021
11	तीनों जिलों के सभी कॉलेज में बनेगे गांधी कॉर्नर विद्यार्थी को महापुरूषों से जुडा साहित्य मिलेगा	30/01/2021
12	कुलपति ने कहा – नेक की ग्रेड सभी कॉलेजों के लिए अगले साल तक अनिवार्य	13/02/2021
13	जीजीटीयू जल्द ही फेकल्टी का डाटा बैक बनाएगा	21/02/2021
14	1463 परीक्षार्थी पीएचडी पात्रता परीक्षा में, 972 अभ्यार्थियों ने दी पीएचडी की पात्रता परीक्षा	08/03/2021
15	जीजीटीयू कोविड केयर सेन्टर और उपकरण मुहैया करवाएगा	28/04/2021
16	जीजीटीयू ने टीकाकरण के लिए दिया 11 लाख का सहयोग	29/04/2021
17	संत मावजी के चौपडे का अनुवाद प्रकाशन व संरक्षण करेगा जीजीटीयू	10/04/2021
18	मिट्टी और बांस से बनाए 132 कृषि और घरेलू उपकरण जनजाति संग्रहालय में रहेगे संरक्षित	13/04/2021
19	वेबीनार में (डां.हिमाशु बूच)1200 विद्यार्थीयों को सकारात्मक सोच की शक्ति के साथ पढाई के टिप्स दिए	03/06/2021
20	विश्वविद्यालय का 1.20 करोड रू. किराया माफ इस राशि से बनेगी संभाग की सबसे बडी डिजीटल लाइब्रेरी	01/07/2021
21	बडवी और बोरताला में वैक्सीनेशन को बढावा घर घर जाकर किया संपर्क	02/07/2021
22	विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर सजे चौराहे विद्यार्थियों ने दी प्रस्तुतियां	03/07/2021
23	जीजीटीयू और हार्टफुलनेस मेडिटेशन संस्थान में हुआ एमओयू	04/07/2021
24	जीजीटीयू परीक्षा में इकाई बाध्यता खत्म	18/07/2021
25	परीक्षा केंन्द्रों पर सीसीटीवी केमरे, कन्ट्रोल रूम जीजीटीयू में	28/07/2021
26	देश का पहला जनजातीय बैक नोतरे के 25 करोड की बचत को बैकिंग से जोडेगी जीजीटीयू	09/08/2021
27	प्रदेश में पहली बार शिक्षक दिवस पर माइग्रेशन पोर्टल लांच होगा, 152 कॉलेज के 40 हजार स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी नहीं आना पडेगा	14/08/2021
28	वेदों के अध्ययन व रिसर्च को बढावा देने बांसवाडा – जोधपुर विश्वविद्यालय में करार	01/09/2021
29	कर्मकाण्ड विधा का डिजीटल संरक्षण में सहयोग का दिया भरोसा	02/09/2021
30	जीजीटीयू हुआ पेपरलैस, माईग्रेशन सहित सभी दस्तावेज आनलाईन मिलेगें	11/09/2021
31	वेदविद्यापीठ की परीक्षा में 89.86 प्रतिशत परीक्षार्थी शामिल	04/10/2021
32	उच्च शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव पहुंचे जीजीटीयू, पदों के भरने की बढी उम्मीद	06/10/2021
33	जीजीटीयू को मिली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी, 16 टीमें हिस्सा लेगी	11/11/2021
34	जीजीटीयू में होगा नोतरा एकत्रित होने वाली राशि से तैयार होगा ट्राइबल बैक	14/11/2021
35	वागड की विभूतियों के नाम पर दिए जाएगे शोध अवार्ड	14/11/2021
36	जीजीटीयू मानगढ धाम पर बनाएगा ट्राइबल रिसर्च सेन्टर	18/11/2021

2. **लोकार्पण :–** विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मद से 3.93 करोड़ की राशि का आवंटन कर अकादमिक भवन (5 कक्षा–कक्ष एवं स्टूडियों अपार्टमेन्ट) बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त अकादमिक भवन (5 कक्षा–कक्ष एवं स्टूडियों अपार्टमेन्ट) का लोकार्पण दिनांक 09 अगस्त, 2021 को श्री अशोक जी गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी बामनिया द्वारा ई–लोकार्पण किया गया।
3. **द्वितीय दीक्षान्त समारोह :–** माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान के निर्देशानुसार दिनांक 15/01/2022 को विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की सहमति प्रदान की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 21 विद्यार्थियों एवं 05 शोधार्थियों को विद्यावाचस्पति की उपाधि माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कलराज मिश्र द्वारा स्वर्ण पदक, प्रमाण–पत्र एवं उपाधि प्रदान की गई।
4. **वेद–विद्यापीठ की स्थापना :–** विश्वविद्यालय में वेद्–विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 2019 में की गई। राज्य सरकार के बजट भाषण 2021 में विश्वविद्यालय को वेद–विद्यापीठ के विस्तार हेतु 25 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार को वेद–विद्यापीठ के भवन प्रस्ताव, शैक्षणिक–अशैक्षणिक पदों की मांग एवं वित्तीय भार के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये है। सत्र 2020–21 में वेद–विद्यापीठ के 05 पाठ्यक्रमों में 1725 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जिनकी परीक्षाऐं आयोजित करा परिणाम घोषित किया गया।

   वर्तमान सत्र में बीएड, इंटीग्रेटेड कर रहे समस्त विद्यार्थियों ने एड–ऑन–कोर्स के रूप में वेद–विद्यापीठ द्वारा संचालित विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लिया है।
5. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक No. 6 (1) Edu-4/2021 Part-1 जयपुर दिनांक 02/12/2021 के द्वारा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाया गया है, उक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाये जाने से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यो में गति मिलेगी।
6. राजभवन द्वारा समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण किये जाने के निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 152 महाविद्यालयों में प्रति महाविद्यालय 100–100 पौधे लगाये गये।
7. विश्वविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी कार्नर, ट्राइबल थियेटर व म्यूजियम के निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया गया, दूसरे व तीसरे चरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

8. विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी बार शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन कर 210 शोधार्थियों को प्रवेशित किया गया। शोधार्थियों का कोर्सवर्क का प्रथम फ़ेज 08 से 22 दिसम्बर, 2021 के मध्य करवाया गया। आगामी द्वितीय फ़ेज 10 से 20 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल ऑनलाइन किया गया।

9. विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल रिसर्च सेंटर इस क्षेत्र के समृद्ध प्राचीन औषधीय व प्राकृतिक चिकित्सा व अन्य विविध क्षेत्रों के ज्ञान से अद्यतन करने का प्रयास है। इस क्रम में बेस्ट रिसर्च पेपर के लिये विभिन्न संकायों में (1) कला संकाय में – संत मावजी, (2) विज्ञान संकाय में – शैलेश कोठारी, (3) विधि संकाय में – डॉ0 नागेन्द्र सिंह, (4) शिक्षा संकाय में – डॉ0 शंकरलाल त्रिवेदी एवं (5) वाणिज्य संकाय में – डॉ0 हरिवल्लभ त्रिवेदी अवार्ड में राशि 01 लाख रूपया नकद प्रतिवर्ष तय मानक पूर्ण करने पर पुरस्कार का प्रस्ताव पारित किया गया एवं अवार्ड हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

10. विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में दिनांक 13/11/2021 से 22/12/2021 तक विभिन्न प्रकार के कुल 13 महिला एवं पुरूष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2022 में किया गया, जिसमें 16 टीमों ने सहभागिता की।

11. **विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता :–** राज्य सरकार के आदेशानुसार बाँसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आ गये है। इन्हे विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त जिलों के कुल 152 राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की है।

क्र. सं	जिला	महाविद्यालयो की संख्या				योग
		निजी			राजकीय	
		सामान्य शिक्षा महाविद्यालय	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय			
			दो वर्षीय बी.एड.	चार वर्षीय बी.एड.		
1	बाँसवाड़ा	44	13	17	6	79
2	प्रतापगढ़	10	03	02	5	20
3	डूंगरपुर	38	04	06	5	53
	योग	**91**	**20**	**25**	**16**	**152**

2. भावी योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 :

1. **विश्वविद्यालय भूमि :–** राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ग्राम बडवी एवं ग्राम पाडला गणेशीलाल में 120.31 बीघा भूमि आवंटित की गई है।
2. राज्य सरकार के बजट भाषण 2021 में विश्वविद्यालय को वेद–विद्यापीठ के विस्तार हेतु 25 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार को वेद–विद्यापीठ के भवन प्रस्ताव, शैक्षणिक–अशैक्षणिक पदों की मांग एवं वित्तीय भार के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये है। इन प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त होते ही भवन निर्माण, पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 18 (2) शिक्षा–4/ 2014 पार्ट दिनांक 09/07/2021 द्वारा प्राप्त रोस्टर निर्धारण दिशा–निर्देशों की पालना में दिनांक 13/12/2021 को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में राज्य सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार तैयार किये गये रोस्टर का अनुमोदन कर रजिस्टर का संधारण कर लिया गया है। राज्य सरकार से शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्राप्त होते ही यथाशीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
4. राज्य सरकार को गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त होने से जनजाति क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
5. आगामी सत्र में विश्वविद्यालय केम्पस में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जायेगी।
6. विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ फार्मेसी का संचालन प्रबन्ध बोर्ड द्वरा अनुमोदित होने के उपरान्त बी.फार्मा, डी.फार्मा हेतु फार्मेसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। विधिवत् अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् पाठ्यक्रम संचालन शुरू किया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय परिसर में हाईटेक PG & Research library स्थापित करना।
8. जनजाति संस्कृति को संरक्षित एवं शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय में एक Tribal Research centre की स्थापना की जायेगी।
9. विश्वविद्यालय के आगामी सत्र में जैन दर्शन एवं साहित्य में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किये जायेगा।

10. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अभियांत्रिकी महाविद्यालय में Skill Development Courses (1) Certificate Course in Graphics Designing, (2) Certificate Course in Web Designing, (3) Certificate Course in Digital Marketing and (4) Certificate Course in Audio – Video Editing प्रारम्भ किये है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के तहत उपरोक्त Skill Development Courses, Skill Development Cell प्रारम्भ किया जायेगा।
11. विश्वविद्यालय में शोध विभाग में पंजीकृत शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संकायों (Social Science, Science, Humanities, Education, Commerce & Management, Law etc.) में प्रतिवर्ष ''रिसर्च अवार्ड'' देना एवं शोधार्थियों को जिन्हे किसी प्रकार की राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से शोधवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, उन शोधार्थियों में से चयनित शोधार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा ''गोविन्द गुरू शोध छात्रवृत्ति'' प्रदान की जायेगी।
12. विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिये सत्र 2022–23 से श्रेष्ठ शोध पत्रों को पुरस्कृत करने के लिये (1) कला संकाय में संत मावजी, (2) विज्ञान संकाय में शैलेष कोठारी, (3) विधि संकाय में डॉ0 नागेन्द्र सिंह, (4) शिक्षा संकाय में डॉ0 शंकरलाल त्रिवेदी एवं (5) वाणिज्य संकाय में डॉ0 हरिवल्लभ त्रिवेदी अवार्ड में राशि 1.00 लाख रूपया नकद प्रतिवर्ष तय मानक पूर्ण करने पर दिया जायेगा।
13. विश्वविद्यालय में संचालित M.sc Chemistry, Zoology, Botany & Geography में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक कार्य सम्पन्न करवाने प्रयोगशाला की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 04 प्रयोगशालाओं का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

3. संचालित संकाय एवं विषयों का विवरण :–

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021–22 में निम्न संकाय एवं विषय संचालित किये जा रहे है :–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम
1.	M.B.A.
2.	M.Sc.(Maths.)
3.	M.com(ABST)
4.	M.com (Bus.Adm.)
5.	M.com (EAFM)
6.	M.Sc (Chemistry)
7.	M.Sc (Botany)
8.	M.Sc(ZOOLOGY)
9.	MA (Hindi)
10.	MA (Sanskrit)
11.	MA (English)
12.	MA (Geography)
13.	MA (History)
14.	MA (Polt. Science)
15.	MA (URDU)
16.	MA (Sociology)
17.	LL.M
18.	M.A (Education)
19.	P.G. Diploma – YOGA
20.	P.G. Diploma – Hotel Management
21.	PG Diploma - Environment & Sustainable Development
22.	PG Diploma -Tourism Management
23	Diploma in Textile Design
24.	Diploma in Fashion Designing
25.	PG Diploma – Fine art
26.	Diploma in Acting Script Writting and Dance
27.	B.Voc. Tourism Management
28.	Certificate Course – जनजाति कला एवं संस्कृति
29.	M.A. in Yoga
30.	संस्कृत शिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स
31.	योग सर्टिफिकेट कोर्स
32.	कर्मकाण्ड सर्टिफिकेट कोर्स
33.	ज्योतिष सर्टिफिकेट कोर्स
34.	वास्तुशास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स

4. विश्वविद्यालय भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यो के संबंध में जानकारी :–

द्वितीय चरण में किये जाने वाले कार्य	स्वीकृत राशि	कार्यकारी एजेन्सी
विश्वविद्यालय मुख्य द्वार	82.47 लाख	RSRDC
कुलसचिव कार्यालय	4.99 करोड़	RSRDC
अकादमिक भवन (प्रथम तल)	4.92 करोड़	RSRDC
नवीन अकादमिक भवन	16.93 करोड़	RSRDC
संविधान स्तम्भ का निर्माण	3.34 करोड़	RSRDC
वेद–विद्यापीठ – डीपीआर	15.00 लाख	RSRDC
वैदिक गुरूकुल – डीपीआर	07.00 लाख	RSRDC

5. प्रबन्ध बोर्ड, वित्त समिति एवं अकादमिक परिषद् के सदस्यों की सूची–

- **विद्या परिषद् (ACADEMIC COUNCIL) सदस्यों की सूची :**

S.No.	MEMBER NAME & POST
01	The Principal Secretary, Information & Public Relations Department, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur
02	The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur
03	Dr. Amit Kumar Jaiswal, Professor in Education Faculty, Govt. P.G. College, Kotwara (Garhwal) Uttarakhand
04	Sh. Govind Singh Deora, Registrar, GGT University, Banswara
05	Dr. K.L. Dindor, Principal, Arts College, Jasela, Dungarpur
06	Dr. K.S. Dantala, Retd. Principal, Kushalgarh (Banswara)
07	Dr. Dinesh Rawat, Asstt. Professor, Govt. College, Banswara
08	Dr. Sarla Pandya, Dean, Faculty of Humanities, S.G.G. Govt. College, Banswara
09	Dr. P.L. Katara, Dean, Faculty of Social Science, VKB Govt. Girls College, Dungarpur
10	Dr. D.K. Jain, Dean, Faculty of Commerce & Management, Wagarshree College, Banswara
11	Dr. B.K. Sharma, Dean, Faculty of Science, S.G.G.G. College Banswara
12	Dr. Gulabdhar Dwivedi, Dean, Faculty of Education, Arawali Mahavidhyalay, Banswara
13	Dr. Sanjay Kumar Jain, Associate Professor (Hindi), SBB Govt. College, Sagwara
14	Dr. Laxman Lal Sargada, Assistant Professor (Drawing & Painting), S.G.G. Govt. College, Banswara
15	Dr. Seema Bhupendra, Associate Professor (English), Govt. College, Banswara
16	Dr. Anjana Rani, Associate Professor (Philosophy), S.G.G. Govt. College, Banswara
17	Dr. Mamta, Assistant Professor (Music), S.G.G. Govt. College, Banswara
18	Dr. Raksha Ninama, Assistant Professor (Home Science), HDJ Govt. Girls College, Banswara
19	Dr. Nimesh Choubisa, Associate Professor (History), SBP Govt. College, Dungarpur
20	Dr.Mahendra Kumar Meena, Associate Professor (Political Science), S.G.G.G. College Banswara
21	Dr. Anil Kumar Paliwal, Associate Professor (Sociology), Govt. College, Simalwara
22	Sh. Ramswaroop Meena, Associate Professor (Geography), SBP Govt. College, Dungarpur
23	Dr. Banwari lal Meena , Associate Professor (Economics), Govt. College, Pipalkhunt
24	Dr. Vishal Upadhyay, Assistant Professor (Education), BVM, TT College, Banswara
25	Sh. Shivlal Parmar, Assistant Professor (ABST), S.G.G. Govt. College, Banswara
26	Dr. Mukesh Prajapat, Assistant Professor (Bus. Adm.), Leo College, Banswara
27	Dr. Shilpa Yagnik, Assistant Professor (EAFM), Leo College, Banswara
28	Dr. Rajiv Gandhi, Assistant Professor (BBM/MBA), New Look Girls P.G. College, Lodha
29	Dr. Chandresh Pareek, Associate Professor (Chemistry), SBP Govt. College, Dungarpur
30	Dr. Sushil Kumar Bissu, Associate Professor (Maths), MBD Govt. College, Kushalgarh
31	Dr. Narayan Lal Gupta , Associate Professor (Physics), SBP Govt. College, Dungarpur
32	Dr. S.M. Roy, Associate Professor (Zoology), Govt. P.G. College, Pratapgarh
33	Dr. Anju Sharma, Associate Professor (BCA/BSC Computer), SBP Govt. College, Dungarpur

- **वित्त समिति (FINANCE COMMITTEE) सदस्यों की सूची :**

S.No.	MEMBER NAME & POST
01	Sh. Govind Singh Deora, Registrar, GGT University, Banswara
02	The Principal Secretary, Finance Department, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur Nominee : 1- Divisional Commissioner, Udaipur)
03	The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur
04	Additional Chief Secretary, Tribal Area Development, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur
05	Sh. Sohan Singh Kathat, Comptroller, GGT University, Banswara

- **प्रबन्ध बोर्ड (BOARD OF MANAGEMENT) सदस्यों की सूची :**

S.No.	MEMBER NAME & POST
01	Hon'ble Vice Chancellor, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
02	The Principal Secretary, Finance Department, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur 1 Nominee) Divisional Commissioner Udaipur.
03	The Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur
04	Additional Chief Secretary, Tribal Area Development, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat Jaipur
05	Commissioner, Tribal Area Development, Udaipur
06	Director, Indian Institute of Management, Udaipur
07	Prof. S.L. Kothari, Professor and Vice President, Amity Science Technology and Innovation Foundation, Jaipur
08	Dr. Sudhir Kumar Mishra, Ph.D., DS & Director General (BrahMos), DRDO, Ministry of Defence, Govt. of India & CEO & MD, BrahMos Aerospace, New Delhi
09	Sh. Ganesh Ghoghra, Hon'ble MLA, Dungarpur
10	Sh. Ramlal, Hon'ble MLA, Pratapgarh
11	Sh. Nilesh Singhvi, Director, Gyayak College, Sagwara
12	Sh. Govind Singh Deora, Registrar, GGT University, Banswara

–:: समाप्त ::–